

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोररा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंच बगीचा

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बगीचा व भूअ.नि. सपोररा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोररा/नायब तहसीलदार — की अनुसन्धा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बगीचा तहसील सपोररा व जिला करौली की जमाबन्दी सन् 2025 में खाता संख्या 280 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>बगीचा</u>	<u>280</u>	<u>रामलाल, मुन्ना पिठ हरफूल</u>	<u>रामलाल, हेसरज पिठ हरफूल</u>

(पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्थान लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
लोक अदालत जिला-करौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक:- 6/6/17

क्रमांक:- सपोररा/2017/101-03
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोररा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हेसरज 3/0 हरफूल को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। 180 सपोररा

(पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्थान लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
पीठासीन अधिकारी सपोररा जिला-करौली (राज०)
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,